न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —93/2019 (अपील)

GCMS No.- 2019/00279

1. जगदीश प्रसाद आत्मज मोतीलाल जाति धाकड
2. भूपेन्द्र आत्मज जगदीश जाति धाकड
3. देवेन्द्र आत्मज रामेश्वर जाति धाकड
4. सचिन आत्मज परमानन्द
   निवासीगण किशनगंज तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

—अपीलाण्ट.

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राज0

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 23 राजस्थान सीलिंग एक्ट बनाराजगी आदेश दिनांक 29.8.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद कार्यवाही सीलिंग निर्णय दिनांक 22.7.76 प्रार्थना पत्र धारा 144 व 151 जा0दी0 प्रार्थना पत्र संख्या 6/2018

उपस्थितः—

1. श्री बलराम शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री पेरोकार सरकार,

निर्णय

दिनांक—19.02.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम ग्राम उम्मेदपुरा तहसील दीगोद में प्राधिकृत अधिकारी सीलिंग (सहा0 जिलाधीश कोटा) द्वारा पुष्पा बाई बनवारीलाल, मोतीलाल जोहराबाई के सीलिंग प्रकरण में रामचन्द्री की सीलिंग सीमा निर्धारण करते हुए ग्राम उम्मेदपुरा तहसील दीगोद में कल 70 बीघा 10 बिस्वा भूमि होना मानक तथा इन्हें 67 बीघा 10 बिस्वा भूमि रखने का अधिकारी कानते हुए शेष 3 बीघा भूमि अधिग्रहण के आदेश 22.7.76 को पारित किये गये । जिसकी अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) कोटा में रामचंद्री द्वारा की गई, अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) कोटा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 7/91 में निर्णय दिनांक 12 नवंबर,1999 से अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया कि सीलिंग अधिनियम 1973 के कानूनी प्रावधानों की पूर्ति कर खातेदार को नियमानुसार ड्राफ्ट स्टेटमेंट जारी कर एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर न्यायोचित निर्णय पारित करें । रामचन्द्री बाई का देहावसान हो गया और दौराने सीलिंग कार्यवाही नये ख0नं0 205 की 3.45 हे0 भूमि में से 0.48 हे0 भूमि अवाप्त कर नये ख0नं0 881 /205 की 0.48 हे0 भूमि सीलिंग सिवायचक दर्ज कर दी गयी व ख0नं0 882/205 की 2.97 हे0 भूमि अपीलान्टान के नाम दर्ज कर दी गई । अपीलांट द्वारा सीलिंग प्रकरण निर्णय दिनांक 22.7.76 ए.डी.एम (सीलिंग) द्वारा निर्णय दिनांक 12.11.99 से खारिज कर प्रकरण रिमाण्ड किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 व 151 जा0दी0 का प्रस्तुत किया गया उपखण्ड अधिकारी दीगोद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 6/2018 निर्णय दिनांक 29.8.2019 से इस आधार पर खारिज किया गया कि—"मूल प्रकरण के वर्तमान स्टेटस की जानकारी के अभाव में उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है ।"
2. उपखण्ड अधिकारी दीगोद द्वारा निर्णय दिनांक 29.8.2019 की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 19.11.2019 को पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई, अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । वकील अपीलांट एवं पेरोकार सरकार उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

जिला कलेक्टर
कोटा

3. वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में एक सीलिंग प्रकरण पुष्पा बाई, बनवारीलाल, मोतीलाल , जोहरा बाई के उनवान से चला, जिसमें मोतीलाल की सीलिंग सीमा का निर्धारण निर्णय दिनांक 22.7.76 से किया जाकर रामचन्द्र बाई के पास दिनांक 1.1.73 को ग्राम उम्मेदपुरा की 70 बीघा 11 बिस्वा भूमि होना मानकर 67 बीघा 10 बिस्वा रखने का अधिकारी मानते हुये 3 बीघा भूमि अधिग्रहरण करने के आदेश पारित किये गये । रामचन्द्र बाई ने उक्त निर्णय के खिलाफ अति0 जिला कलेक्टर (सीलिंग) कोटा के यहां अपील संख्या 7/91 पेश की जो दिनांक 12.11.99 को स्वीकार की गयी व सीलिंग अधिग्रहरण आदेश दिनांक 22.7.76 अपास्त कर दिया व प्रकरण को पुनः सुनवायी हेतु रिमाण्ड कर दिया गया । रामचन्द्री बाई का देहावसान हो गया और दौराने सीलिंग कार्यवाही नये ख0नं0 205 की 3.45 हे0 भूमि में से 0.48 हे0 भूम अवाप्त कर नये ख0नं0 881/205 की 0.48 हे0 भूमि सीलिंग सिवायचक दर्ज करदी गयी व ख0 नं0 882/205 की 2.97 हे0 भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज कर दी । उक्त भूमि पर प्रार्थीगण अपीलान्ट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा ह तथा प्रतिपक्षी रेस्पो0 द्वारा धारा 91 की कार्यवाही प्रार्थी नं0 1 के खिलाफ की जा रही है । इस कारण उक्त निर्णय की पालना में सीलिंग सिवायचक दर्ज भूमि को प्रार्थीगण अने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है, इस ष्संबंध में प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व रिकार्ड व अन्य वांछित व आवश्यक दस्तावेजात पेश किये गये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तोर पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 144 व 151 जा0दी0 निर्णय दिनांक 29.8.2019 से खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.7.76 की पालना में नये ख0नं0 881/205 की 0.48 हे0 भूमि सीलिंग सिववायचक के रूप में अधिग्रहरण की गयी जब निर्णय दिनांक 22.7.76 अपास्त कर दिया गया तो राजस्व रिकार्ड की पूर्व की स्थिति बहाल किया जाना आवश्यक था आर उक्त भूमि प्रार्थीगण के पुनः खाते दर्ज किया जाना आवश्यक था । अधीनस्थ न्यायालय ने यह कयास लगा कर कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में सुनवायी हेतु रिमाण्ड किया गया है व प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय होना है मूल प्रकरण का क्या स्टेटस है यह प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है प्रार्थना पत्र खाजिर करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि रामचन्द्र बाई के पास दिनांक 1.173 को ग्राम उम्मेदपुरा की 70 बीघा 11 बिस्वा भूमि थी अधीनस्थ न्यायालय ने रामचन्द्र बाई को 67 बीघा 10 बिस्वा रखने का अधिकारी ानते हुये 3 बीघा भूमि अधिग्रहण करने के आदेश पारित किये गये । उक्त भूमि में केचमेन्ट कार्य होकर 4 बीघा 16 बिस्वा की कटोती की जाकर 65 बीघा 15 बिस्वा भूमि रामचन्द्री बाई के नाम दर्ज हुई । जिसके नये खसरा नम्बर की 7.75 हे0 भूमि रामचन्द्री बाई के नाम र्द हुई रामचन्द्री बाई का देहावसान हो गया व रामचन्द्री बाई की वसीयत के अनुसार भूमि अपीलान्टान के नाम दर्ज हुई जबकि रामचन्द्र बाई के पास रोड में भूमि अवाप्त होने के बाद सीलिंग सीमा से भूमि कम है । इस कारण अवाप्त की गयी भूमि पुनः प्रार्थीगण के खाते दर्ज किया जाना आवश्यक है । अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.8.2019 निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलान्टा का प्रार्थना पत्र धारा 144 व 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर ग्राम उम्मेदपुरा की खसरा नम्बर 881/205 की 0.48 हे0 भूमि सीलिंग सिवायचक खाते से हटायी जाकर प्रार्थीगण अपीलान्टान के खाते दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें । वकील अपीलांट द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त RBJ(26)2019 एवंRBJ (27) 2020 धारा 144 के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये है ।

4. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम उम्मेदपुरा तहसील दीगोद में कल 70 बीघा 10 बिस्वा भूमि होना मानक तथा इन्हें 67 बीघा 10 बिस्वा भूमि रखने का अधिकारी कानते हुए शेष 3 बीघा भूमि अधिग्रहण के आदेश 22.7.76 को पारित किये गये । जिसकी अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) कोटा में रामचंद्री द्वारा की गई, अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) कोटा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 7/91 में निर्णय दिनांक 12 नवंबर,1999 से अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को सीलिंग अधिनियम 1973 के कानूनी प्रावधानों की पूर्ति कर खातेदार को नियमानुसार ड्राफ्ट स्टेटमेंट जारी कर एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर न्यायोचित निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया था, रिमाण्ड के बिन्दुओं की पालना में

क्या कार्यवाही हुई, तथा रिमाण्ड के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्या निर्णय पारित किया यह अपीलान्ट द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय में तथ्य प्रकट किये ओर ना ही इस अपील में बताया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 144 का निरस्त किया गया है जो सही है, यह अपील स्वीकार योग्य नहीं है ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । वकील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 144 व 151 जा0दी0 का इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.11.99 से प्राधिकृत अधिकारी (सीलिंग) कोटा का निर्णय दिनांक 22.7.76 अपास्त कर दिया जाने से दौराने सीलिंग कार्यवाही के 0.48 हे0 सिवायचक भूमि पुनः अपीलांट के नाम दर्ज की जावें । एडीएम सीलिंग कोटा के निर्णय दिनांक 12.11.99 के अवलोकन से तो यह स्पष्ट हो रहा है कि प्राधिकृत अधिकारी (सीलिंग) कोटा का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया था, जिसमें पुनः सुनवाई की जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना था किन्तु रिमाण्ड के बिन्दुओं पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा क्या निर्णय पारित किया गया यह पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अपीलांट द्वारा यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय में भी प्रकट नहीं किये है, अपीलांट द्वारा इस अपील में यह भी तथ्य प्रकट किया है कि 1.1.73 को रामचन्द्रबाई को 67 बीघा 10 बिस्वा रखन का अधिकारी माना है तथा 3 बीघा भूमि अधिग्रहरण के आदेश दिये है, एवं उक्त भूमि में केचमेन्ट कार्य होकर 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि की कटोति की जाने पर 65 बीघा 15 बिस्वा भूमि ही रामचन्द्र बाई के नाम दर्ज हुई जो सीलिंग सीमा से कम होना बताया है, किन्तु यह तथ्य मूल सीलिंग प्रकरण जो अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था में विचारणीय है । मूल सीलिंग प्रकरण में क्या निर्णय हुआ अथवा नहीं यह जानकारी प्रार्थी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे नहीं दी गई ओर ना ही इस अपील में बताया है, वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RBJ(26)2019 एवंRBJ (27) 2020 अपीलधारा 144 के सम्बन्ध में पेश किये है जिसमें यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि" **दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 144 कब्जा पुनस्थापना कर सिद्वान्त है कि जब डिक्री को निरस्त कर दिया जाता है तब कानून के तहत जो दावे में पक्षकार है उसका दायित्व बनता है कि उसको जो डिक्री के तहत फायदा हुआ उस पर प्रतिवादी को पुर्नस्थापित करें**" किन्तु इस प्रकरण में ऐसा नहीं है, एडीएम सीलिंग ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.7.76 अपास्त किया किन्तु प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया था, यह इस प्रकरण में लागू नहीं होता है । ऐसी स्थिति मे अपील आधारहीन होने से अस्वीकार योग्य पाते है ।

6. परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.8.2019 मे कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

7. निर्णय आज दिनांक 19.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डा. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा